FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत.. मुकाम..

.... खेताराम ....बनाम .... सोमसिंह वगैरा ....

किस्म मुकदमा.. नं........ 50 .... सन्........ 2020 ....

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
3.3.2020	~~प्रार्थी~~/वादी/अपीलांट के वकील श्री ....खेताराम स्वयं.... ने यह ~~प्रार्थना पत्र~~/वाद/अपील धारा ....111, 128.... राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। ~~विप्रार्थी~~ /प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक ....18/3/2020.... को पेश हो। विवेक व्यास	
18/03/2020	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त जिन्हें शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थीगण बावजूद तामील अनुपस्थित। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई अंतिम आवाज 5.45 pm पर लगाई गई विप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अतः वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 07/07/2020 को पेश हो। विवेक व्यास	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.19 15:30:16 IST
Reason: SelfAttested

07/07/2020 प्रार्थी वकील उप० / विप्रार्थीगण

अनुपस्थित / प्रार्थी के आवेदन की एकपक्षीय बहस सुनी गई प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी व विप्रार्थीगण के खाते शामिल-शरीक आये हुए है प्रार्थी व विप्रार्थीगण के खेतों पर जो मुनारी मार्ग बने आए हुए है जो वर्तमान में आंधियों की वजह से मिट गये है / जिससे प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के खेतों का सही ज्ञान नहीं हो रहा है / बुवाई की वावत होने पर विप्रार्थीगण प्रार्थी के खेतों को तोड़कर प्रार्थी के बारानी खाते में खेती कर लेते है / जिससे प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के बीच तनाव बना रहता है। इस कारण प्रार्थी को अपने बारानी खाते की पक्की मेढबंदी करवाना आवश्यक है / इसलिए प्रार्थी का पक्की मेढबंदी आवेदन स्वीकार कर मेढबंदी के आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थी का मेढबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बालेसर को कमिश्नर व सम्बन्धित भू-अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया जाता है व आदेश किया जाता है कि आप स्वयं या सहायक कमिश्नर से प्रार्थी के बारानी खेतों की पक्की मेढबंदी मौके पर कमिश्नर शुल्क रुपये 500/- जमा करवाकर करें / पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो / पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर [illegible] हो दाखिल दफ्तर होवे

[illegible signature]

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.19 15:30:16 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

क्रमांक / वाद / 2020 / 477 दिनांकः– 7/7/2020

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. खेताराम पुत्र पन्नाराम जाति जाट निवासी मलवा उतराद्ध तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर		1. भोमसिंह पुत्र नाथूसिंह वगैरा निवासी मलवा उतराद्ध तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या .... / 20

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा मलवा उतराद्ध पटवार हल्का चीबी तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 18 रकबा 116.04 बीघा की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है खातेदार को अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है वह तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर व संबंधित भू अभिलेख निरिक्षक को सहायक कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है। कि कमीशनर स्वंय या सहायक कमीशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क रूपयें 500 जमा करा कर करें एवं पालना रिपार्ट पेश करें। तथा अपेक्षित होने पर संबंधित थाना अधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक / वाद / 2020 / 478-82 दिनांकः– 7.7.2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिड़ा
2. पटवारी चीबी को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री खेताराम
4. विप्रार्थीगण भोमसिंह वगैरा
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, गिड़ा / बायतु / नागाणा ।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु 7/2020

उपखण्ड अधिकारी बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.19 15:30:16 IST
Reason: SelfAttested